

25368

11/4/22

सेवा में

श्रीमती विशेष कार्यवाही
आर० टी० आर० में नो

महादया

आपके पत्र सं० में नो / आर० टी० आर० / २०२२ /
१२५१ के अनुसार हमने आप से जो सचना
चाही वो अपूर्ण है उसे पूर्ण कर दीया है।
अतः सम्पूर्ण पत्र को संलग्न कर दिया है।
इस पत्र पर विशेष कार्यवाही करने का
फट्ट कर, आपकी अति कृपा होगी।
धन्यवाद

जितेंद्र

11/3/22

जितेंद्र कुमार पुत्र
श्री सच्यपाल सिंह

ग्राम - इटहरा सं० ५
तहसील दादरी
गाँवम बुद्ध नगर

P10 6% Abadi

12/4/22

P10-61.
R15-20478
12/4/22

21476

28-3-22

PIO 6% Abaad

12/4/22

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का आवेदन पत्र

रसीद संख्या.....
क्रम सं.-

आवेदन शुल्क: 10 रुपये
दिनांक:

जन सूचना अधिकारी/
सहा0 जन सूचना अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
169, चितवन एस्टेट, सेक्टर-गामा,
ग्रेटर नोएडा-201308

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वांछित सूचना का विवरण (समस्त खण्ड भरना अनिवार्य है)

(क) वांछित सूचना का विषय एवं विवरण

(ख) संबंधित सूचना की जमयावधि

शेल्फन प्रार्थना पत्र दिनांक-22-11-21 पर
CEO GNIDA द्वारा अभिज्ञ नापवाही हेतु प्रेषित
नापवाही डायरी नं-77229, 77227 पर अभी तक
किस निष्ठा डायरी, नया नापवाही की गई है, अगर
है तो कृपया संबंधित डायरी दिखाने, भुगतान नहीं, तो
नया कारण है उसे बताने की कृपया करें।

22-11-21 से दिनांक 25/3/2022 तक
से दिनांक

(ग) क्या सूचना निम्न माध्यम से वांछित है:

| | |
|--|-------------------------------------|
| डाक से (डाक खर्च का भुगतान अलग से देय होगा) | व्यक्तिगत |
| <input type="checkbox"/> सामान्य <input checked="" type="checkbox"/> योजीकृत <input type="checkbox"/> त्वरित डाक | <input checked="" type="checkbox"/> |

(घ) कृपया निम्न में से एक उपलब्ध कराएं

| | |
|--------------------|--|
| पैन कार्ड संख्या | |
| मतदान कार्ड संख्या | |
| पासपोर्ट संख्या | |
| राशन कार्ड संख्या | |

मैं एतद्वारा सूचित करता/करती हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत हूँ। मैं भारतीय नागरिक होने के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड/ मतदान कार्ड/ पासपोर्ट/ राशन कार्ड संलग्न कर रहा/रही हूँ। मैं प्राप्त सूचना का प्रयोग केवल व्यक्तिगत रूप में करूंगा/करूंगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में प्राप्त सूचना का प्रयोग/हस्तांतरण/सम्मिलित/प्रदर्शन/वितरण जो कि देश हित में नहीं आता है, नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/घोषणा गलत पाई गई, मैं इसका स्वयं जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी एवं सूचना प्राप्त करने के अधिकार से वंचित हो जाऊंगा/जाऊंगी।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर: जितेंद्र कुमार

स्थान: शा. इटहरा, सं. 4, तह-दादरी, गामा, नोएडा

दिनांक: 28-3-22

आवेदनकर्ता का पूरा नाम:

जितेंद्र कुमार पिता सत्यपाल सिंह

| | |
|------------------|--------|
| भटन/संकेत संख्या | 59 |
| सेक्टर | 4 |
| कॉड | 201009 |

सेवा में,

श्रीमान मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय,
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

12358

विषय:- 6 प्रतिशत प्लॉट नं. 219 क्षेत्रफल 2320 पर कब्जा नहीं मिलने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र :-

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं सतपाल सिंह पुत्र श्री मथुरा निवासी ग्राम इटेहरा जिला गौतमबुद्धनगर का मूल निवासी हूँ ग्राम इटेहरा में प्लॉट नं. 219 क्षेत्रफल 2320 का आवंटन मेरी ताई श्रीमती अशफ़ी पत्नी सक्टू के नाम पर हुआ था। जिनकी मृत्यु दिनांक 06.12.2009 को हो चुकी है। उपरोक्त प्लॉट का आवंटन दिनांक 30.05.2011 में प्राधिकरण द्वारा किया गया था। जिसका मैं सतपाल व वीरपाल पुत्रगण मथुरा वारिस हूँ। उपरोक्त प्लॉट को 10 साल हो जाने के बाद भी अभी तक हमें कब्जा नहीं दिया गया है। जिसकी हमारे परिवार को बहुत जरूरत है। कृपया करके हमें उपरोक्त प्लॉट का बैंक लीज बनाकर जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें। जिससे की हम दोनों भाई उसकी रजिस्ट्ररी (बैंक लीज) करवाकर अपना घर बना सके।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुये उक्त प्लॉट की बैंक लीज प्रार्थीगण के हक में करने के आदेश पारित करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक:- 16.11.2021

२२/११/२०२१

प्रार्थीगण

सतपाल व वीरपाल पुत्रगण
श्री मथुरा निवासी ग्राम
इटेहरा परगना व तहसील
दादरी जिला गौतमबुद्धनगर
उ०प्र०।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच- 169, सेक्टर- गामा, चितवन एस्टेट, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला- गौतम बुद्ध नगर

दूरभाष : 0120-2326150/151 फैक्स : 0120-2326143/145

पत्रांक : सम्पत्ति / विद्यमान आवारि / 2011 / 447
तिथि : 30/5/2011

Ms. ASHRFI (WIDOW)

NO. SAKTU
Village: ITEHARA
G.B NAGAR

प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्माण के अनुसार आपको ग्राम ITEHARA की प्रस्तावित आवादी को प्रस्तावित ITEHARA की भवनक्षेत्र आवादी में 219 प्लॉट, क्षेत्रफल 2520 वर्गमीटर आवादी विस्तार हेतु आवंटित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि रु. 3110772 देय तिथि तक ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नगरीय विकास शुल्क अर्पित करवाया जाए। (ग्राम नौएडा) में जमा करना सुनिश्चित करें। इस आवंटन में निम्नलिखित शर्तों की बाध्यता अनिवार्य होगी:

आवंटन संख्या : ITE01263


भुगतान पद्धति

| भुगतान कोड | देय तिथि | देय धनराशि |
|--------------------|------------|------------|
| Development Amount | 14/06/2011 | ₹ 3110772 |
| Water Charges | | ₹ 1200.00 |
| Sewer Charges | | ₹ 2800.00 |

1. इस भूखण्ड पर भवन निर्माण 6 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा।
2. निश्चित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
3. इस भूखण्ड पर भवन निर्माणवली (गर्भण) की शर्तों के अनुसार निर्माण करना आवश्यक होगा।
4. इस भूखण्ड के हस्तान्तरण पर तीन वर्ष तक प्रतिबन्ध होगा। प्रतिबन्ध के विपरीत यदि भूखण्ड को आंतरिक/व्यक्ति द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है तो ऐसे स्थिति में अर्ध कृषक श्रेणी को प्राप्त 17.5% के कोटे के अन्दरगत प्राधिकरण को आवासीय भूखण्डों में जमा आवासीय सुविधा में व्यय कर दिया जायेगा।
5. पट्टा फंजीकरण की धनराशि पट्टा निष्पादन के समय ही भुगतान करने होगी।
6. आवंटनी द्वारा भूखण्ड के क्षेत्रफल में यदि वाणिज्यिक गतिविधि के उपयोग हेतु अनुमति प्राप्ति जाती है तो ऐसे दस्ता में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
7. आवंटित भूखण्ड के ले आउट प्लान में भूखण्ड के क्षेत्रफल में घटता / बढ़ता भी हो सकती है जो आवंटनी द्वारा मान्य होगा।
8. शासनदेश सं. 3066/11-05-2009-500(100)/2008 दिनांक 12.05.2009 के क्रम में आवंटनी द्वारा प्राधिकरण तिथि के तत्पश्चात् अर्ध कृषक श्रेणी अनुबन्ध किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क आवंटन धनराशि के अनुसार देय होगा अथवा स्टाम्प शुल्क व्ययिता निर्धारित देय के दिनांकानुसार देय होगा।

उपरोक्त में अतिरिक्त यदि स्वामित्व / सार्वजनिक कृषक / निवास के मान्य में सुचना प्राप्त पाई जाती है तो आवंटनी हेतु भूखण्ड का आवंटन रद्द हो जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करवाए जाये। धनराशि के भुगतान की एक प्रतीक इस कार्यालय में ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


वरिष्ठ प्रबन्धक (सम्पत्ति)